

SCS
28/3/52

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA,

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No.- _____ of 2012.

Randhir Kumar Petitioner.

Versus

The State of Bihar and ors... Respondents.

Sub- Salary Matter (Panchayat/Block
INDEX Teacher)

<u>Sl. No.</u>	<u>Petitioners</u>	<u>Pages</u>
1.	Petition with Affidavit-	1 to 20.
2.	Annexure-1- A copy of letters dt- 20. 1.06 and 22. 2.06-	— 22-23
3.	Annexure-2-A copy of Bihar Panchayat Elementary Teacher Act 06	— 24-33
4.	Annexure-3- A copy of marksheet and certificate.	— 34-36
5.	Annexure-4- A copy of the last representation dt-13. 3. 12-	— 37
6.	Vakalatnama,	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA.

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No.- _____ of 2012.

Ranbir Kumar Petitioner.

Versus

The State of Bihar and ors... Respondents.

SYNOPSIS

PRAYER:-

That the petitioner prays for directing the concerned respondents for treating the petitioner as a Block trained Teacher and ~~and~~ paying him trained teacher scale because who has already been completed two years training course earlier during the course of his service period from IGNOU by state Government .

That it is further prayed to direct the concerned respondents for treating the petitioner

II.

as a Govt. trained teacher.

Facts:-

22.12.1976- Date of birth of the petitioner

1991- The petitioner has passed matriculation examination.

1993- The petitioner has passed first division in Intermediate of science examination from Science college, Patna in Sessions 91 to 93.

1997- Successfully passed B.Sc. Zoology (Hons) Exam in sessions 94 to 97 and he secured good marks in first Division.

9.2.03- The petitioner was appointed on 9.2.03 by Sukh Suvidha committee as a post of Shiksha Mitra in General Category only for 11 months.

28.1.04- Service of the petitioner was extended after completion of 11 months

III.

and he is engaged for next 11 months,

20. 1.06- Director sent a letter to D.M. on 20. 1.06
whereby it is directed to concerned D.M.
for extending the service period of
working panchayat teacher including
petitioner and service period of petitioner
was extended on 22. 2.06 and he
has been continuously and regularly
discharging his duty for the
satisfaction of all concerned
(Annexure -1 series).

22. 2.06- service period of petitioner was
extended,

1. 7.06- That Bihar Panchayat Elementary Teacher
act was published on 1. 7.06 (Annexure -1)

31-08-2008-That the petitioner has passed two
years training course Diploma in primary Education

IV.

(T.E) Examination from I.G.N.C.U.(Annexure-2 series)

13-03-12 - That despite several representations,
petitioner submitted his last representation
before Respondent DCO Madhapura for treating him
as a Govt. Servant and accordingly payment
should be given (Annexure-2).

Hence writ petition.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA,
(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. - _____ of 2012.

In the matter of an
application Under Article
226 of the constitution
of India,

A N D

In the matter of
Rendhir Kumar, Son of Shri Koplashwar Kumar,
Resident of village- Ratampura, P.S.- Chailadhi,
District- Madhepura Petitioner.

Versus

1. The State of Bihar,
2. The Principal Secretary, Human Resources

Development Department, Government of Bihar, Patna,

3. The National Council for teacher Education (NCTE)

through Regional Director, IGCU (Indira Gandhi

National open University). RC, Patna,

4. The District Magistrate Madhepura, P. S. and District-

Madhepura.

5. The District Education Officer, Madhepura p. s.,

and District- Madhepura,

6. The Programme Officer, Madhepura,

P. S. and District- Madhepura,

7. The Block Education Extension Officer P. S. and

Block Ghailach and District- Madhepura,

..... Respondents,

To,

The Hon'ble Ms. Rekha M. Doshit, the Chief
Justice of the Hon'ble High Court of Judicature
at Patna and her companion justices of the said
Hon'ble Court,

The humble petition on
behalf of the petitioner
above named

Most Respectfully Sheweth:-

I. That the ~~petitioner~~ ~~of~~ ~~graves~~ indulgence
of this Hon'ble Court for issuance of an
appropriate writ(s)/order(s)/direction(s) commanding
the respondents for the following relief:-

I. To direct the concerned Respondents
panchayat/
for treating the petitioner as a Block
trained teacher and paying him trained teacher
scale because who has already been completed
two years training course earlier during
the course of his service period from Indira
Gandhi National Open University her-in

after referred as IGNCU) by state Government

II) To direct the concerned respondents for treating the petitioner as a Govt.Trained teacher at the place of panchayat / Block teacher and to pay him salary according to his Government pay scale because who has been discharging his duty regularly more than nine years on same post .

III) For any other relief or reliefs to which the petitioner may be entitled in law.

2. That the present writ application has been filed, inter alia, on the following ground:-

I) For that the petitioner and others were appointed on the post of Shiksha Mitra in 2003 in accordance with the terms given under Shiksha Mitra Act and they were

treated as panchayat teacher u. o. f. 1.7.06

after commencement of the panchayat teacher

Act 2006 and as such there is no irregularity

/discrepancy with regard to his appointment

and they have been working on the posts

of panchayat teacher for the satisfaction

of all concerned.

II. For that the petitioner has been working

on the post of panchayat teacher (untrained

whereas he has already been trained earlier

from IGNU by the state Government but he

has been deprived from the trained scale.

III. For that there is violation of Article

14 and 16 of the constitution of India

because several panchayat teachers

and other Govt. teachers who are

6.

appointed in different schools for same and similar work but they have been paying different pay-scales, reasons best known by themselves,

IV. For that the actions of the respondent's are highly arbitrary, unreasonable and in contravention of rules and regulations.

V. For that the action of the respondent's has resulted in illegal denial of consequent service benefits like salary and seniority etc to which the petitioner is entitled and other teachers were allotted to higher Government ~~similar~~ pay-scale for the same work by denying this petition.

VI. For that the impugned action of the respondents is now threatening petitioner's

fundamental as well as other rights and

liable to cause permanent injury in terms of
loss of salary, and seniority, hence
impermissible in law?

VII. For that the act of the respondent
authorities is an attempt to frustrate
the object of panchayat Rajya system
as also to frustrate the object of educating
the children of 6 to 14 years of age,

VIII. For that the indifference and apathy on
the part of the respondent authorities
is even otherwise bad in law and facts
of the present case,

IX. For that the action of the respondent
shows colourable exercise of power as well
as non application of mind,

X. For that it is apparent from the paragraph

6.

Question

Answer

12(v) of the Panchayat Teacher Act-2006, that

the teachers who have already trained after
six years, they have been granted trained
pay scale but said terms and conditions of
the service rule has not been implemented
promptly?

3. That the petitioner is a citizen of India
and resides within the territorial jurisdiction
of this Hon'ble Court and he fulfills all the
requisite qualifications for the being
selected/appointed on the post of Government
teacher and presently he has been working as a
post of Block Teacher in upgraded middle school,
Ithari, Under Gram Panchayat Ratnepura in District
Madhapura.

4. That the petitioner has passed his

9.

matriculation examination good marks with First Division and he has already been issued marksheet and certificate and his date of birth has already been recorded as 22, 12, 1976.

5. That the petitioner has passed his Intermediate of science Examination in the year 1993 (in Session 1991 to 93) from science college, Patna and he secured good marks and he has been issued marksheet and certificate also by competent authorities.

6. That the petitioner has successfully passed B.Sc. Zoology Honours Examination in the year 1997 in Sessions 94 to 97 and he secured good marks in First Division.

7. That the petitioner was appointed on 9.2.03 by Sukh Savidha committee only for eleven

10.

months engaged as a post of Shiksha Mitra in

General Category and he has joined on said

post in middle School, Itahari and thereafter

he has been discharging his duty for the

satisfaction of all concerned,

8. That the service of the petitioner

was extended to eleven months on 28.1.04

and regularly he has been discharging his

duty from his engagement and after his reengagement

for the satisfaction of all concerned,

9. That after completion of eleven months

petitioner was again reengaged for next

eleven months on the said post of Shiksha

Mitra for his satisfactory service and consistently

continuously and regularly he has been

discharging his duty on the said post for

his initial appointment,

11.

10. That meanwhile respondent Director sent the letters to all the D.M. on 20. 1.06 whereby it is directed to concerned D.M. for extending the service period of working panchayat teacher including petition & and service period of the petitioner was again extended on 22. 2.06 and he has been continuously and regularly discharging his duty for the satisfaction of all concerned.

Photocast copy of letters dated- 20. 1.06 and 22. 2.06 are annexed herewith and marked as Annexure-1 series and those from a parts of this petition.

11. That meanwhile, on the basis of their ^{his} satisfactory service, petitioner was sent to

12.

teacher training by the State Government in the
through ^{the} ICIMOU and he successfully completed
his training course ~~of one month~~,

13. That according to notification dated-
1.7.06 was issued by the Government of Bihar
whereby rules regarding the appointment and
service conditions of the panchayat teachers
in different panchayats of the state were laid
down. It is worth mentioning here that as per
notification dated- 1.7.06 it was laid down that
minimum Educational qualification for selection
of Panchayat teacher is only Intermediate/
equivalent to Intermediate and their
retirement age would be sixty years. There was
was no mention whatsoever with regard to the
upgradation of their educational qualifications.

13.

or any sign of an intention to alter the eligibility criteria of such persons who were earlier working as panchayat teacher. Since petitioner fulfills all the required qualification for the selection on the post of panchayat teacher /Government teacher. That panchayet teacher may be treated as Govt. teacher after nine years because both of them have been working equally for same work. Therefore it is required to be payed equal pay scale.

13.

That according to notification dated 1.7.2006 was issued by the Government of Bihar, whereby rules regarding the appointment and service conditions of the panchayat teachers in different panchayats of the state were laid down. It is worth mentioning here that as per notification dated 1.7.2006 it was laid down that minimum

Educational qualification for selection of panchayat

teacher is only Intermediate/ equivalent to

Intermediate and their retirement age would be sixty
years.

It is also mentioning the terms and

condition of the service is that untrained teacher

would be trained after completion of two years

training course and trained scale would be given

after six years by completing the successful

training course. Thereafter panchayat Teacher Act 06

was also amended in 2009.

A photo stat copy of the

Bihar Panchayat Elementary

teacher Act 2006 is annexed

herewith and marked as

Annexure-2 and it forms

a part of this petition.

15.

14. That Bihar Panchayat Prarambhik Teacher
(appointment and service condition) Act -2006
was amended as Bihar Panchayat Prarambhik Teacher
(appointment and service condition) Amendment Rule
2009.

15. That the petitioner has passed two years
training course (Diploma in primary Education(DPE)
examination from IGNOU and he secured good marks.

A photo stat copy of

marksheets and certificates

are annexed herewith and

marked as Annexure-3 series

the above said forms a part

of this petition.

16. That the Indira Gandhi National Open

University has been established by an act of

parliament. Therefore, all the programmes offered

16.

by ICNCL are recognised .There is no doubt about it,The Programme has been approved by National Council for teacher Education(NCTE) viz their order F.No.-S-3/L /100/99/12839- 12844 dt- 1-11-1999.

17. That it is pertinent to mention here that several panchayat teachers who after completing their two years training course do not get any pay scale during the service period but they have not been given trained pay scale and they have not been taking benefit of trained pay scale as yet. So they may be as Govt. trained teacher and accordingly payment of trained pay scale should be given.

18. That several panchayat Shiksha mitra, including petitioner, who were treated as

17.

panchayat teacher after notification dated 1.7.06
that panchayat teachers and other Government
teachers have been discharging their duties
in different school and their work is same and
similar but they have been paying different pay
scale by the respondent authorities, which is
quite illegal, improper and unjust.

19. That the ptitione can not be
subjected to the changed service conditions/
Rules which have taken place subsequent upon
their joining cadre or appointment on the
post in question and as such the act of the
concerned respondent authorities is highly
arbitrary unreasonable and is clear cut violation
of Article 14 and 16 of the constitution of India.

20. That despite several representations

18.

petitioner submitted his last, representation before respondent DFO Bhopal but no coercive action has been taken as yet,

A photo copy of the last representation dated- 13/3/12
is annexed herewith and
marked as Annexure-4 and it
forms a part of this
petition.

21. That in the facts and circumstances of the case the petitioner has no equally efficacious alternative remedy available than to move this Hon'ble court for redressal of his ~~their~~ grievances,

22. That the petitioner ~~has~~ not filed any other writ petition for the reliefs prayed

19.

for in paragraph no.-1 of this Writ petition,

It is therefore prayed that your Lordships may graciously be pleased to allow this writ petition issue Rule NISI calling upon the respondents to show cause as to why the reliefs prayed for in paragraph no.-1 of this writ petition be not granted to the petitioner's and upon such cause as may be shown and on return of the rule and after hearing the parties make the rule absolute in the said terms.

P.W.D / O.R

It is further prayed that during the pendency of this writ petition the petitioner may be given trained scale as a Government teacher and treated

20.

him as a Government servant,

A N D / O R

Pass such other order or orders as

your Lordships may deem fit and proper.

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Randhir Kumar aged about 35 years, son of Shri Kapleshwar Kumar, resident of village-Ratnarpur, P.S.-Ghailadhi, District-Mehsana, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner in this case & as such as am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this petition and the affidavit have been read over to me in Hindi and understood the same of which is true to the best of my knowledge and belief.
3. That the statements made in para no. 3 to 9, 11, 12, 14 to 19 and 20 — true to my information knowledge and those made in para no. 10 and 13 — _____ true to my information derived from the records and rest are by way of submissions to this Hon'ble Court.
4. That the annexures are true typed/ photo copies of their respective originals.

मानव रंगाधन विकास अभाग, बिहार।

प्रेषक,

सेवा में,

अशोक कुमार सिंह,
निदेशक प्रातिवार्षिक शिक्षा बिहार।

राजी जिला प्रवाधिकारी।

22

पट्टा, दिनांक 20.1.06

विषय : पंचायत शिक्षा अधिकारी के अनुबन्ध की जमायत के अद्यतार के तंत्रिका।

विषय/महानिया,

उपर्युक्त विषय के तंत्रिका है तो कि इस जिले के द्वारा यह गुणित 2
विषय जा रहा है कि कई 2002-03 में नियोजित पंचायत शिक्षा अधिकारी का
नियोजन तीन बार $\frac{1}{3} \times 3 = 33$ माह के नियोजन की जमायत समाप्त हो
गई है तथा उनके द्वारा यह मार्गनिया जा रहा है कि नियोजन की
33 माह की जमायत समाप्त हो जाने के पश्चात् रित पर्वों पर नियोजन की
प्रारूप्या क्या होगी ?

एवं आरकार द्वारा पंचायत शिक्षा अधिकारी के नियोजन एवं उनकी
मानदेश एवं सेवा के सम्बन्ध में विद्यार तथा जा रहा है। उत्तर साल में
अप्रृष्ट डोने तक कई 2002-03 में नियोजित दो वर्षे पंचायत शिक्षा अधिकारी की
नियोजन अनुबन्ध की जमायत 33 माह समाप्त हो गयी है/डोने वाली है, की
गोपा संतोषजनक पाए जाने की अवधि में पंचायत द्वारा मात्र ग्यारह माह के
लिए अनुबन्ध बर नियोजित क्या जा रहा है। उसके जल्तीरक्त गार्यवाड पंचायत
शिक्षा अधिकारी अनुबन्ध बर नियोजन 3 मार्गदर्शिका ग्रन्थांगित 2004 एवं इस
तंत्रिका में नियोजित अधिकारी के नाड़त प्रावधानों के अनुसार होगा।

विवारण,

20.1.06

अशोक कुमार सिंह
निदेशक प्रातिवार्षिक शिक्षा बिहार।

18.1.06

28

पट्टा, दिनांक 20 जनवारी 2006

प्रतिलिपि निदेशक प्रातिवार्षिक शिक्षा बिहार।

अशोक कुमार सिंह
निदेशक प्रातिवार्षिक शिक्षा बिहार।

प्रक्रिया:— १७

दिनांक:— २९-०२-०६

प्रेषक:— मुखिया छात्र पंचायत रत्नपुरा।
संवाद:

जिला शिक्षा अधीक्षन मध्यपुरा।

विषय:— छात्र पंचायत रत्नपुरा में पंचायत शिक्षा मित्रों के अनुबंध की उम्मिया के विस्तार के संबंध में।

टूटाड़ा,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में दृढ़कित करता है कि आपके प्राप्ति १६०

दिनांक १६/२/०६ के आठोक में छात्र पंचायत रत्नपुरा में

विधिवत् कोटिवार विद्यालय के लिये शिक्षा मित्रों के नियोजन कर आवश्यक कार्यवाही देते हों जो यही है।

प्रमाणस्थान: दिल्ली मित्रों को नाम रखना खबोंकोटि विद्यालय का नाम मन्तव्य

✓ श्री रणधीर कुमार, पिता-
श्री कपिलेश्वर कुमार,
साठ-रत्नपुरा।

मठ विद्यालय
ईदहो

नामांकित आठ

२. श्री उद्दीपन एवं श्री गोपा-
ल एवं रघुनाथ चाटव, साठ-
रत्नपुरा।

प्रा. को रत्नपुरा

नामांकित आठ

३. श्री राजेश कुमार, पिता-
श्री चितनाराज उभाराड़ी
साठ-रत्नपुरा।

प्रा. को रत्नपुरा

नामांकित आठ

४. श्री बंजेश राजक, पिता-
श्री चुरेश राजक, साठ-रत्नपुरा।

प्रा. नो रत्नपुरा

नामांकित आठ

५. श्री ओ सलालकुमार, पिता:-
श्री उर्मिला उद्धोन
साठ-रत्नपुरा।

अप्रा. विद्यालय हिंसा अ. ग्रिही योगी

नामांकित आठ

अधिकारी

दिनांक २२-२-०६ द्वारा द्वितीय

प्राप्ति नामांकित आठ

प्रतिक्रिया:— प्रा. विद्यालय फौज घैलाड़ी / जिला विद्यालय अधीक्षन रायगढ़ी / ५० किलो
५३० / संकालन विद्यालय २० अ० / खबोंकोटि विद्यालय २० अ० / दूसरा विद्यालय की
पंचायत एवं आवश्यक कार्यवाही देते हों।

क (नियोजन
वाली, 2008

भाग

49 दिनांक:-25.08.2008
निका अधिनियम, 2007 की
(ग. करते हुए विहार राज्य
नियमावली) नियमावली, 2006

यह नियमावली "विहार
(संशोधन) नियमावली,

नियमावली-2006 के उपयुक्ता

पाल के आदेश से,
(कुमार सिंह)
के प्रधान सचिव

बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2009

बिहार सरकार, मानव संसाधन विकास विभाग, अधिसूचना संख्या :-7
नि० 3 -02/06 अंश "म्य" 1055 दिनांक 03.07.2009 - भाग्त मंविधान
के अनुच्छेद 243व तथा विहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 45,
47(4) एवं 419 के अधीन प्रदत्त शिक्षकों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार
"बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली,
2006" का संशोधन करने द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार प्रवृत्त एवं उत्तराधि (1) यह नियमावली "बिहार नगर
निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2009"
कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण विहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त)
नियमावली, 2006 के नियम 12 के उप-नियम (iii) का संशोधन - उक्त
नियमावली के नियम 12 का उप-नियम (iii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया
जायेगा :-

"(iii) प्रत्येक तीन वर्षों के बाद (कहल दो बार) इस नियमावली के अधीन
नियमित शिक्षकों का व्यावहारिक वित्तीय व्यवस्था में न्यूनतम 45% एवं उत्तराधिकारी कोटि में
न्यूनतम 40% अंक प्राप्त कर्त्तव्यात्मक अधिकारी शिक्षकों के बेतन में 500/- (पाँच
सौ) रुपये तथा अप्रशिद्धित शिक्षकों के बेतन में 300/- (तीन सौ) रुपये की
एकमुश्त वृद्धि की जायेगी। निर्धारित अंक से कम अंक प्राप्त करनेवाले शिक्षकों
को बेतन वृद्धि देय नहीं होगी। सामान्य कोटि में 45% से नीचे तथा आरक्षित कोटि
में 40% से नीचे अंक प्राप्त करनेवाले शिक्षकों को उनके अंक में सुधार हेतु एक
अतिरिक्त मौका दिया जाएगा। छ: माह के बाद उनका पुनर्मूल्यांकन किया जायेगा।
मूल्यांकन के पश्चात् निर्धारित न्यूनतम अंक से कम अंक प्राप्त करनेवाले शिक्षकों
को उनके नियोक्ता के द्वारा सेवा से हटा दिया जायेगा।"

3. बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त)
नियमावली, 2006 के नियम 18 का प्रतिस्थापन - उक्त नियमावली के नियम
18 निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

"18. अपील - इस नियमावली के अधीन नियोजन एवं सेवा शर्तों में मंवंशि
त अपील सुनने की शक्ति जिला खात एवं सरकार द्वारा गठित एक या एक से
अधिक सदस्यों की प्राधिकार को होगी। मानव संसाधन विकास विभाग के द्वारा
प्राधिकार की स्थापना एवं सेवा शर्तों का निर्धारण किया जायेगा। अपीलीय
प्राधिकार का गठन सेवानिवृत्त विहार न्यायिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा,
बिहार प्रशासनिक सेवा, विहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारीयों एवं आवश्यकतानुसार
शिक्षाविदों से किया जायेगा।"

- (iii) 'प्रारंभिक विद्यालय' से अभिप्रेत है, राजकीय/राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य विद्यालय।
- (iv) 'नगर प्रारंभिक शिक्षक' से अभिप्रेत है, नियमावली की कंडिका 4 के अनुसार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नियंजित होने वाले नगर शिक्षक (प्रशिक्षित) एवं नगर शिक्षक (अप्रशिक्षित)। नगर शिक्षक (प्रशिक्षित) में शारीरिक शिक्षा शिक्षक भी सम्मिलित होंगे।
- (v) 'श्रेणी' से अभिप्रेत है पंचायत शिक्षकों की श्रेणी।
- (vi) 'विभाग' से अभिप्रेत है मानव संसाधन विकास विभाग।
- (vii) 'नगर निकाय' से अभिप्रेत है शहरी क्षेत्र के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 'थ' के अधीन गठित स्वशासी संस्था यथा नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत।
- (viii) 'नगर निगम' से अभिप्रेत है बिहार नगर निगम अधिनियम, 2000 के तथा पटना नगर निगम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत गठित नगर निगम।
- (ix) 'नगर परिषद्' से अभिप्रेत है बिहार नगर निगम अधिनियम, 1922 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत गठित नगर परिषद्।
- (x) 'प्रशिक्षण' से अभिप्रेत है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय प्रशिक्षण अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एल.एड. या बी.एड.
- (xi) 'विद्यालय शिक्षा समिति' से अभिप्रेत है प्रत्येक विद्यालय के प्रबंधन एवं पर्यवेशाण हेतु विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम, 2000 के अधीन गठित समिति।
- (xii) 'राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से अभिप्रेत है' NCTE या अन्य किरणी नाम से विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को नियमित करनेवाली परिषद्।
- (xiii) 'उर्दू इकाई' से अभिप्रेत है प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू पढ़ने वाले कम-से-कम दस तथा अधिकतम तीस बच्चों के लिए एक शिक्षक का पद।
- (xiv) 'कार्यपालक पदाधिकारी' से अभिप्रेत है किसी नगरपरिषद् या नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी।
- (xv) 'मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी' से अभिप्रेत है किसी नगर निगम के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (निगम आयुक्त)
3. नगर प्रारंभिक शिक्षकों की श्रेणी :-
नगर प्रारंभिक शिक्षक दो श्रेणी के होंगे :-
(क) नगर शिक्षक (प्रशिक्षित)

6

7

8

नगर शिक्षक (प्रशिक्षित) के लिये :-

1. भारत का नागरिक हों तथा विहार राज्य के निवासी हों।

- *[2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक/इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षां उत्तीर्ण हो किन्तु इसके अन्तर्गत ताकनीकी शिक्षा वीड़ियो (ऑफिटेकनिक, यूनानी शिक्षा आदि) शारीरिक शिक्षा, प्राच्यगारा /भाषा विशेष से सम्बन्धित डिग्री (गोलवी, उप शारनी) तथा रवैचिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त समरूप डिग्री (विभाग द्वारा निर्णीत) रामान्य शिक्षक पद पर नियोजन हेतु समिलित नहीं है।
3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा वा सर्टिफिकेट अथवा शिक्षा में 2 वर्षीय सर्टिफिकेट अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में स्नातक (बी.एल.एड.) अथवा बी.एड. के साथ स्नातक अथवा समकक्ष योग्यता।

शारीरिक शिक्षक के लिए न्यूनतम दो वर्षों का सर्टिफिकेट (सी.पी.एड.) अथवा समकक्ष योग्यता प्राप्त हो।

परन्तु इस नियमावली के अधीन प्रथम *|एवं द्वितीय नियोजन में वैसे उम्मीदवारों का भी नियोजन किया जा सकेगा, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) अधिकारियम द्वारा होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालय में दो वर्षों तक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा (सी.पी.एड.) वर्षों का शारीरिक प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट (सी.पी.एड.) पास हो।

नगर शिक्षक (अप्रशिक्षित) के लिये :-

- भारत का नागरिक हों तथा विहार राज्य के निवासी हों;
- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक/इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

*[(ख) आरु :-]

नियोजन वर्ष की पहली अगस्त को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु रोमा वर्षी होगी जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक रुधार विभाग) द्वारा रामय-रामय पर घोषित किया जाए। विकलांग उम्मीदवारों वीड़ियोक्तम उम्र रोमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

परन्तु प्रखण्ड शिक्षक तथा पंचायत शिक्षक के प्रथम एवं द्वितीय नियोजन में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की अतिकतम उम्रीगा शिथिल रहेगी।

9. नियोजन की प्रक्रिया :-

- राज्य सरकार नगर प्रारम्भिक शिक्षकों के नियोजन हेतु समय-समय पर पदों की मंड़िया उपलब्ध करायेगी।

- II. नगर परिपद/नगर पंचायत का कार्यालय प्रभागिकारी - सदस्य
 III. नगर परिपद/नगर पंचायत का शिक्षा समिति के एक
 चयनित सदस्य
 (पुरुष अध्यक्ष होने पर चयनित सदस्य महिला होगी) - सदस्य
 IV. नगर परिपद/नगर पंचायत में अवस्थित सबसे पुराना
 माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का जिला शिक्षा
 पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक शिक्षक - सदस्य
 V. संवंधित अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी - सदस्य सचिव
 टिप्पणी :- नगर परिपद/नगर पंचायत की शिक्षा समिति के गठन नहीं होने के
 स्थिति में संवंधित अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किसी एक पदाधिकारी को
 समिति में सदस्य मनोनीत किया जा सकेगा।

(xv) नगर निगम के लिए समिति-

- I. नगर निगम के महापौर - अध्यक्ष
 II. नगर निगम के मुख्य कार्यालय पदाधिकारी - सदस्य
 III. नगर निगम के शिक्षा समिति के एक चयनित सदस्य - सदस्य
 (पुरुष अध्यक्ष होने पर चयनित सदस्य महिला होगी) -
 IV. नगर निगम में अवस्थित सबसे पुराना राजकीय/
 राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक - सदस्य
 V. जिला शिक्षा अधीक्षक - सदस्य सचिव

टिप्पणी :- नगर निगम की शिक्षा समिति के गठन नहीं होने के स्थिति में जिला शिक्षा
 अधीक्षक द्वारा किसी एक पदाधिकारी को समिति में सदस्य मनोनीत किया
 जा सकेगा।

परन्तु उपरोक्त दोनों समितियों में चयनित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

- (xvi) पैनल तैयार हो जाने पर उसे सार्वजनिक किया जाएगा। किसी प्रकार की आपत्ति देने
 हेतु एक सप्ताह का समय दिया जायेगा। प्राप्त आपत्ति का निराकरण कर पैनल को
 अन्तिम रूप दिया जायेगा।
 (xvii) तैयार पैनल का अनुमोदन क्रमशः नगर निगम, नगर परिपद् एवं नगर पंचायत के द्वारा
 किया जायेगा।

- (xviii) चयनित अध्यर्थियों का इच्छित विद्यालयों में नियोजन मेंधा सूची के आधार पर¹⁾
 अनुसूची-॥ में अंकित प्राथमिकता के अवगेही क्रम में उपरोक्त समिति द्वारा काउन्सिलिंग
 के आधार पर किया जायेगा।

- *परन्तु नगर शिक्षाक के पदस्थापन में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि राजतान्त्रिक विभागों का पदस्थापन गवर्नर काउन्सिल पर ही भिराएं रोगूराम द्वी शिक्षा विभाग की हो। राजतान्त्रिक विभागों की विभाग भिराएं निलंबन पर इन्टर योग्यतोधारी विज्ञान शिक्षाक का पदस्थापन प्राथमिकता से किया जायेगा।

- (i) नगर प्रारंभिक शिक्षक का पद अस्थानान्तरणीय होगा।
परन्तु नगर शिक्षक (प्रशिक्षित) को अपनी सेवा काल में तीन वर्षों के बाद अधिकतम दो स्थानान्तरण लेने की सुविधा रहेगी।
- (ii) यदि किसी विद्यालय के एक रिक्त पद हेतु एक से अधिक स्थानान्तरण के आवेदन प्राप्त होते हैं, तो अनुसूची-॥ के अवरोही क्रम में शिक्षकों को प्राथमिकता दी जायेगी और इस प्रकार के स्थानान्तरण की कार्रवाई केंडिका ७ (ix) में गठित समिति के द्वारा की जायेगी।

14. सेवा पुस्तका का संधारण:-

नगर प्रारंभिक शिक्षक की सेवा पुस्तका का संधारण संबंधित नगर निगम के द्वारा किया जाएगा।

*[15. छुट्टी :-

- (1) नगर प्रारंभिक शिक्षक को वर्ष में 16 दिनों का आकर्षित अवकाश तथा 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश देय होगा, जिसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। शिक्षक यदि रव्वयं प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक हो तो उपर्युक्त अवकाश एवं शिक्षिकाओं को 135 दिनों का मातृकावकाश प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर नगर निगम के मामले में महापौर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी तथा नगर परिषद् एवं नगर पंचायत के मामले में उनके अध्यक्ष के द्वारा रखीकृत किया जायेगा। मातृकावकाश का लाभ भाव्य दो रात्नानों के लिए ही अनुमत्य होगा। आकर्षित अवकाश एक रात 12 दिनों से अधिक नहीं दिया जा सकेगा।
- (2) उपर्युक्त अवकाशों के अतिरिक्त पिशेष कारणागत वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए अवैतनिक अवकाश देय होगा। अवैतनिक अवकाश प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर नगर निगम के मामले में महापौर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी तथा नगर परिषद् एवं पंचायत के मामले में उनके अध्यक्ष के द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। तत्पश्चात् अनुपरिधत रहने पर वेतन नहीं दिया जायेगा एवं इस अवधि को रोवा में टूट मानी जायेगी। 3 माह तक विना पर्याप्त कारण के लागातार अनुपरिधत रहने की रिति में नियोजन समिति के द्वारा उन्हें रोवा से हटाने की कार्रवाई की जायेगी।

16. वेतन भुगतान :-

- (i) नगर प्रारंभिक शिक्षक का वेतन भुगतान चेक/अन्तरण द्वारा किया जायेगा।
- (ii) नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत को नगर प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए सरकार द्वारा के अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

17. अनुशासनिक कार्रवाई:-

- (i) वच्चों को पीटने तथा प्रताड़ित करने के आधार पर विद्यालय शिक्षा समिति की अनुशंसा पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी।
- (ii) विद्यालय से अनुपस्थित रहने, आदतन समय पर विद्यालय नहीं आने तथा कर्तव्यों के प्रति उदासीनता की स्थिति में विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक

Annex

Hanukwale - 3

34

Enrolment No. : 075003106

संक्ष-2007-2009

Name of the Programme : DPE

Name : RANDHIR KUMAR


Father's / Husband's Name : SRI KAPIL ESHWAR
KUMAR

Address (in Capital Letters) : NAVTOOLIYA

WARD NO. - 01, P.S - Madhipura,
Dist - Madhipura

Pin Code : 852113

Full Signature
of the Candidate : Randbir kumar



ATTESTED BY
REGIONAL DIRECTOR
IGNOU, RC, PATNA

Grade Card Status

(All programs Except for BIT/ADIT)

Select Program: ACFS Enter Enrollment Number: Submit

Indira Gandhi National Open University

Current Grade Card Status as on December 05, 2011

(For information only)

Monday, December 12, 2011 10:38:53 AM

Enrollment Number: 075003108

Name: RANDHIR KUMAR

Program: DPE

The Status is indicative only & cannot be used as a substitute for the final grade card which is sent by SED at the end of a semester.

Course Code	Asgn1	Asgn2	Asgn3	Asgn4	Term End Theory	Term End Practical	Status
ES201					D	-	Completed
ES202					B	-	Completed
ES203					B	-	Completed
ES204					C	-	Completed
ES211					C	-	Completed
ES212					C	-	Completed
ES213					C	-	Completed
ES221	B	B			D	-	Completed
ES222	C	C			B	-	Completed

Notwithstanding the result published/declared, any case of UFR (Unfair means) if found will make such result null and void.

Note:- Assignment 4 and TE Practical do not apply to all the courses.Back

Disclaimer: This electronically generated information does not have any legal validity.

AN 124412

अपार्टमेंट
फुलनेम नं. 07599108

इन्द्रिय गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

प्रमाणित किया जाता है कि *Randhir Kumar*
जौहा इस तरह से को

को नियमित पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले
after having passed the prescribed course of study in the

को परीक्षा उत्तीर्ण करने पर
examination is being admitted

Certificate in Primary Teacher

महानगर पालिका

राज निकूल
राज निकूल



Amritsar

स्वेच्छा में,

अमीन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, महोदय, मध्यपुरा।

विषय :- प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त प्रशिक्षित का बेतन देने के सम्बन्ध में।

महाभय,

थिविन्य कहना है कि मैं राजपीर कुआर, म०वि० इटही, प्रखण्ड-घोलाद, जिला-मध्यपुरा में शिक्षक के पद पर कार्यरक हूँ। इन्हु (I.M.S.O.U) द्वारा आयोजित D.P.E (Diploma in Primary education) से प्रशिक्षण २०१० में प्राप्त कर चुका हूँ। कई बार लिखित एवं प्रारंभिक रूप से आवेदन देता रहा, परन्तु लगातार डिकायत करने के बावजूद आज तक प्रशिक्षित का बेतन नहीं दिया गया है।

13.03.12
अतः अमीन ये आगाह हैं कि उपरोक्त बातों पर ध्यान रखते हुए अतिथीघ्र प्रशिक्षित का बेतन दिया जाय।

दिनांक - 13.03.12.

विद्यासमाजन -

राजपीर कुआर

शिक्षक

म०वि० इटही

प्रखण्ड-घोलाद।

अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर सकेंगे। विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा शिक्षकों की नियमित उपस्थिति मुनिश्चत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में अंतिम निर्णय कंडिका 9 (vii) की समिति द्वारा लिया जायेगा।

*[18. अपील :-

इस नियमावली के अधीन नियोजन से सम्बन्धित अपील सुनने की सक्ति जिला रत्तर पर सरकार द्वारा गठित एक या एक से अधिक सदस्यों की प्राधिकार को होगी। गान्धी रांसाधन पिकास विभाग के द्वारा प्राधिकार की रक्षापत्र एवं रेता शर्तों का निर्धारण किया जायेगा। अपीलीय प्राधिकार का गठन रेता निवृत विहार न्यायिक रंगा भारतीय प्रशासनिक रेता, विहार प्रशासनिक रेता, विहार शिक्षा रेता के पदाधिकारियों एवं शिक्षाविदों से किया जायेगा।

19. प्रकीर्ण :-

राज्य सरकार इस नियमावली के किसी प्रावधान को अधिसूचना/अनुदेश के द्वारा स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाईयों को दूर कर सकेगी।

20. निरसन एवं व्यावृति :-

(i) इस नियमावली को प्रभावी होने की तिथि से राज्य के शहरी क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षकों/शारीरिक शिक्षकों की नियोजन से संबंधित पूर्व की सभी नियमावली, संकल्प आदेश एवं अनुदेश आदि निरस्त माने जायेंगे।

(ii) फरवरी इयं नियन के होने हो पूर्व के नियमावली, संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि के तहत नियुक्त शिक्षकों को वेतानादि एवं संवा शर्तों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विहार राज्यपाल के आदेश से,

(मदन मोहन जा.)

आयुक्त एवं सचिव

मानव संसाधन विकास विभाग।

III
वेतन

उ की

जर्जरों
शक्ति

नियमावली

द्वय

द्वय

श्रय

संविधि

में होने के
कारणी कोआधार
रास्ता
सदाचारप्रत्यक्ष
व्य सचिव
ला शिक्षा
मित कियाहोगा ।
पर्याप्त देने
में काहे ज्ञान

। के द्वारा

भार पर
उन्निसलिंगरनातक
। शिक्षक
कर्तोधारी

नियमावली

(xiii) चेयनित अभीर्णी को शिक्षक-सह-सहमति पत्र (अनुसूची-III) भेजा जायेगा । सहमति पत्र के आधार पर नियोजन स्वीकृत किया जायेगा।

10. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति:-

शिक्षक/शिक्षकोत्तर कर्मियों के आक्षितों को अनुकम्पा के आधार पर निर्धारित योग्यता के अनुरूप नगर शिक्षक (प्रशिक्षित) तथा नगर शिक्षक (अप्रशिक्षित) के पद पर उपलब्ध दिक्षियों के लिए इन नियोजन किया जा सकेगा यदि वे स्पष्ट रूप से इसके लिए अपनी सहमति देते हैं। नियोजन सरकार के कार्यक्रम विभाग द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधित नियर्थित अन्य शर्तों के आलोक में उपरोक्त समितियों द्वारा किया जा सकेगा । अप्रशिक्षित अधिकारी को नियोजन के बाद उन्हें अधिकतम 6 वर्षों के अन्दर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा।

11. प्रमाण पत्रों की जाँच :-

नगर विकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी को यह अधिकार रहेगा कि वे प्रशिक्षण या योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जाँच कर लेंगे । प्रमाण पत्र वाली की गोदान सार्वजनिक रूप से दिए रखते हैं तथा उन्हें रिक्ति में नियोजन रद्द कर दिया जायेगा और अन्य कानूनी कार्रवाई जी जायेगी।

12. सेवा संबंधी अन्य रार्टो :-

- नगर शिक्षक (प्रशिक्षित) को नियन्त्रित वेतन के आधार पर नियोजित किया जायेगा और उन्हें रु. 5,000 प्रतिमाह देय होगा ।
- नगर शिक्षक (अप्रशिक्षित) को नियन्त्रित वेतन पर नियोजित किया जायेगा तथा उन्हें रु. 4,000 प्रतिमाह देय होगा ।
- प्रत्येक तीन वर्षों के बाद यथा निर्देशित मूल्यांकन के आधार पर नगर शिक्षक (प्रशिक्षित) अपने एकमुस्त वेतन में 500 रुपये प्रतिमाह वृद्धि के हकदार होंगे तथा नगर शिक्षक (अप्रशिक्षित) 300 रुपये प्रतिमाह वृद्धि के हकदार होंगे ।
- ऐसे नियोजित शिक्षक अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक नियोजित रह सकेंगे।
- अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (N.C.T.E.) द्वारा अनुमोदित दो वर्षों के प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक का नियन्त्रित वेतन देय होगा ।
- प्रशिक्षित शिक्षकों तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए भी नियमित रूप से संबाकालीन प्रशिक्षण वर्षीय व्यवायश की जानेगी जिसमें उनका भाग लेना अनिवार्य होगा ।
- उपर नियमावली के अधीन नियुक्त प्रारंभिक शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार का भाना यथा गहराई भाना, आवास भाना, चिकित्सा भाना, परिवहन भाना आदि देव गती होगा ।

13. स्थानान्तरण :-

नियमावली

17

- (ii) नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत द्वारा कोटिवार नगर प्रारंभिक शिक्षक के रिक्त पदों को भूक्ता का प्रकारण पूरे शेष में क्रम-क्रम १५ दिनों तक के लिए किया जायेगा।
- (iii) विहित प्रपत्र (अनुयूची-१) में आवेदन पत्र इस नियमावली के अन्तर्गत गठित समिति के सदस्य सचिव के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा तथा तुरन्त एक प्राप्ति रसीद दी जायेगी/भेजी जायेगी।
- (iv) नगर शिक्षक के नियोजन हेतु पैनल :-
- (क) नगर शिक्षक का पैनल नगर निकाय के महापौर तथा नगर परिषद एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा मेधा के आधार पर तैयार किया जायेगा। मेधा अंकों की गणना निम्न प्रकार की जाएगी :-
1. मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक/इन्टरमीडिएट प्राप्तांक का प्रतिशत
 2. दो वर्षीय प्रशिक्षण/बी.एल.एड./बी.एड./सी.पी.एड.
- प्राप्तांक का प्रतिशत परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी दो वर्षीय प्रशिक्षण तथा बी.एल.एड./बी.एड./सी.पी.एड. की डिग्री प्राप्त किया हो तो उनके द्वारा दावा किये गये किसी एक प्रशिक्षण के प्राप्तांक के प्रतिशत को मेधा अंक में जोड़ा जायेगा।
- उपरोक्त 1 और 2 को जोड़कर तथा जोड़ को दो से भाग देने पर जो प्रतिशत होगा, वही अभ्यर्थी का मेधा अंक होगा।
- *[परन्तु नियम 4 के उप नियम (2) में उल्लेखित अभ्यर्थियों के मानसे में 1 वर्ष या अधिक शिक्षण अनुभव के लिए 20 अंक उनके मेधा अंक में जोड़े जायेंगे।
- (v) बी.एड./सी.पी.एड. योग्यताप्राप्त नगर शिक्षक/शारीरिक शिक्षा शिक्षक का नियोजन केवल मध्य नियालय में किया जायेगा।
- (vi) उपरोक्त के अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षक का पैनल अलग से तैयार किया जायेगा।
- (vii) नगर शिक्षक (अप्रशिक्षित) का पैनल उच्चतर माध्यमिक/इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर तैयार किया जायेगा।
- (viii) समान अंक प्राप्त होने पर, जिनकी जन्म तिथि पहले होगी, उन्हें पैनल में उपर रखा जायेगा। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर ढाँ ऑफ लॉट के द्वारा पैनल में उपर स्थान निर्धारित होगा।
- (ix) पैनल निर्माण हेतु समिति का गठन तथा अनुमोदन:-
- प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर पैनल का निर्माण निम्नलिखित समिति के द्वारा किया जायेगा :-
- (क) नगर परिषद/नगर पंचायत के लिए समिति
- 1. नगर परिषद/नगर पंचायत का अध्यक्ष

३८५

۱۸۷

सार
एवं
अक

੩

ଶ୍ରୀ

३८

三

४

नियमावली

(ख) नगर शिक्षक (आप्रशिक्षित)

- *|(i) शिक्षकों को अध्यापना के अनुरार दोनों रत्तों पर कॉटिवार प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों का पैनल अलग-अलग तैयार किया जायेगा। सर्वप्रथम प्रशिक्षित शिक्षकों का नियोजन किया जाएगा। अवशेष रिहिरायों पर अप्रशिक्षित शिक्षकों (सारीरिक शिक्षा शिक्षक के पद को छोड़कर) का नियोजन किया जाएगा।

परन्तु अप्रशिक्षित समीदायरों की भेदा सूची तैयार करने में सरकार हारा संचालित लोक शिक्षण केन्द्रों के लोकशिक्षक, विद्यालय ने पढ़ाने वाले पूर्व में शिक्षागित्र, अनौपधारिक शिक्षा के अनुदेशक, तथा दिहार शिक्षा परियोजना हारा संचालित प्रगति केन्द्र, अंगना/अपना विद्यालय बाल वर्ग एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में शिक्षण कार्य का अनुभव प्राप्त कर्मियों को सम्बद्ध अधिभार (वेटेज) दिया जायेगा।

‘अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए दो वर्षीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।’

- (ii) आरक्षित कोटि में उच्चतर माध्यमिक/इन्सर्मीडिएट परीक्षा पास उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में माध्यमिक परीक्षा पास उम्मीदवारों को भी नियोजित किया जा सकता है। परन्तु उन्हें निर्धारित योग्यता अधिकतम 6 वर्षों के अन्दर प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

३. आरक्षण :-

- (क) 'नगर प्रारम्भिक शिक्षण' का नियोजन आगले साल के अनुमार किया जायेगा।

*[(ख) प्रत्येक कोटि में (शारीरिक शिक्षा शिक्षक को छोड़कर) व्यूनातम 50% महिला अभ्यर्थियों का नियोजन किया जायेगा। विषम राख्या रहने पर अंतिम पद महिला के लिए चिह्नित किया जायेगा। शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पद के लिए प्रशिक्षित महिला उम्मीदवार नहीं मिलने पर उसे उसी कोटि के पुरुष प्रशिक्षित उम्मीदवार से भरा जा सकेगा।

(ग) नगर प्रारम्भिक शिक्षक के प्रत्येक कोटि में तीन प्रतिशत विकलांग (दृष्टि वाधित 1% श्रवण वाधित 1% तथा अस्थिजन्य निःशब्द 1%) उम्मीदवारों का नियोजन किया जायेगा।

टिप्पणी - मेधा के आधार पर चयन होने की मिथ्यति में किसी व्यक्ति को विकलांग होने के कारण नियोजन से वंचित नहीं किया जायेगा।

6. उर्दू शिक्षकों का नियोजन : -

विद्यालय के मात्र उर्दू उकाईयों पर उर्दू योग्यता रखने वाले तथा मौलयी योग्यताभागी अध्यर्थियों का नियोजन किया जायेगा।

7. शारीरिक शिक्षा शिक्षक का नियोजन:-

प्रत्येक मध्य विद्यालय में एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक का नियोजन किया जायेगा।

४. नियुक्ति हेतु :-

- (क) अर्हता:

बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक
(नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006

[अधिनियम संख्या- ४५८, बिहार लालू ०३-०८-२००८ तथा संशोधित]

बिहार सरकार, मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना

संख्या- ७/नि. ३-०२/०६/-९७३

पटना दिनांक : ०१-०७-०६

भारत के संविधान की धारा 243 व (12वीं अनुमूल्यी मद संख्या-13) तथा नगर निगम अधिनियम, 1651 की धारा 473 व इसके पठित धारा 474, बिहार नगर निगम अधिनियम 1978 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 1922 (यथा संशोधित) के धारा-11। सह पठित धारा 340 एवं 341 के अधीन प्रदत्त अनियोजित का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य के शहरी क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के नियोजन हेतु नियुक्ति के लिए निम्नांकित नियमावली बनाती है:-

नियमावली

प्रस्तावना:- संविधान की धारा 21 'क' के अन्तर्गत ६-१४ आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा उनका मौलिक अधिकार हो गया है। इसके लिये राज्य के प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में व्यापक प्रसार एवं सुधार के कार्यक्रमों को अपनाया जाना आवश्यक हो गया है। हजारों नवे प्रारंभिक विद्यालयों के खोलने तथा वड़ी संख्या में शिक्षकों के नियोजन की आवश्यकता है। साथ ही 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के आलोक में प्रारंभिक शिक्षा में नगर निकाय संस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुये प्रारंभिक शिक्षा के दायित्वों के निर्वहन का भार भी इन संस्थाओं को संपूर्ण आवश्यक हो गया है। अतएव इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक गढ़ पर नियोजन हेतु यह नियमावली बनायी जा रही है।

१. संक्षिप्त नाम, प्रमाण एवं प्रारम्भ :-

- (i) यह नियमावली "बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006" कही जायेगी।
- (ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (iii) यह अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी।

२. परिभाषा:- जबतक कोई वात विपय या प्रसंग के विरुद्ध नहीं हो, इस नियमावली में-

- (i) 'प्रारंभिक विद्यालय' से अभिप्रेत है वैसे राजकीय एवं राजकीयकृत विद्यालय जहाँ वर्तमान में वात पाँच तक की शिक्षा की व्यवस्था है।
- (ii) 'मध्य विद्यालय' ने अभिप्रेत है वैसे राजकीय राजकीयकृत जहाँ चारों वर्षों में कक्षा सात या कक्षा आठ तक की शिक्षा की व्यवस्था है।

नोट- पाठ में * चिह्न संशोधन, 2008 का द्योतक है।